

वन्य-जीव सप्ताह में ‘वन्य-जीव पासपोर्ट’ पहल शुरू, संरक्षण का लिया संकल्प

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपाल: वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में ‘जुड़े आवास, वन्य-जीवन का विकास’ थीम पर राज्य स्तरीय वन्य-जीव सप्ताह 2026 का शुभारंभ हुआ। पहले दिन आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में करीब 1200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ‘एक फोटो, एक कहानी’ प्रतियोगिता में वन्य-जीव एवं प्रकृति से संबंधित 52 फोटो और कहानियों की प्रविष्टियां प्राप्त हुईं।

आगंतुकों के संकल्प के लिए वन विहार में पांच स्थानों पर संरक्षण दीवार लगाई गई, जहां बच्चों, अन्य आयु वर्ग के लोगों और अधिकारियों ने हस्ताक्षर कर संकल्प लिया।

वन्य-जीव सप्ताह के दौरान वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एवं प्राणी उद्यान द्वारा ‘वन्य-जीव



पासपोर्ट’-मेरा 1% वन्यजीवों के लिए’ पहल शुरू की गई। इसके तहत दोनों प्रवेश द्वारों पर पंजीकरण करने वाले आगंतुकों को डिजिटल वन्य-जीव पासपोर्ट दिया जा रहा है। प्रतिभागी 10

जीव चैंपियन’ और 5-7 स्टाम्प वालों को ‘वन्य-जीव एक्सप्लोरर’ के रूप में मान्यता दी जाएगी।

पहले दिन 118 आगंतुकों ने पंजीकरण कराया। अनन्या बोराली और चिराग नामपाल प्रथम ‘वन्य-जीव संरक्षण राजदूत’ बने। हर्षित पटेल, खुशी अग्रवाल, मोहित मेवाड़े और हितेश प्रजापति को ‘वन्य-जीव चैंपियन’ के रूप में मान्यता मिली। संरक्षण राजदूतों को एक वर्ष में 12 और चैंपियनों को छह निःशुल्क प्रवेश दिए जाएंगे। वन्य-जीव सप्ताह के दौरान विभिन्न विभागों एवं सहयोगी संस्थाओं ने प्रदर्शनी भी लगाई। कार्यक्रम में वरिष्ठ वन अधिकारी, विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक और अन्य लोग उपस्थित रहे।

388 शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान और एरियर्स

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के निरंतर प्रयासों के बाद जनजातीय कार्य विभाग के 388 शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान, वेतनवृद्धि एवं एरियर्स का लाभ देने का आदेश जारी किया गया है। विभाग ने 30 सितंबर 2026 को यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। यह निर्णय 15 सितंबर 2026 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप है।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना एवं संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने बताया कि वर्ष 1973-74 से 1997-98 के बीच निश्चित वेतनमान पर नियुक्त शिक्षकों के नियमितीकरण और एरियर्स का मुद्दा शासन के समक्ष लगातार उठाया गया था। आदेश के अनुसार शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग के 18 अक्टूबर 2017 के आदेश के अनुरूप लाभ मिलेगा।

जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने बताया कि सेवागत शिक्षकों की एरियर्स राशि जीपीएफ खाते में जमा होगी, जबकि सेवानिवृत्त शिक्षकों को दो किस्तों में 50-50 प्रतिशत नगद भुगतान किया जाएगा।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति कोटा देने की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: ग्रेड-3 के लिए पदोन्नति हेतु मध्यप्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति का लाभ देने की मांग उठी है।

संघ के प्रांत अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रदेश में करीब 15 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहायक ग्रेड-3 पद पर पदोन्नति की पात्रता रखते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2003 में तृतीय श्रेणी के कुल स्वीकृत पदों में 25 प्रतिशत पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से सहायक

ग्रेड-3 के लिए पदोन्नति हेतु निर्धारित किए थे। शर्मा ने बताया कि 1 अक्टूबर को कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा को इस संबंध में पत्र सौंपा गया। समिति अध्यक्ष ने अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेजकर निर्देशित किया है कि अनुकंपा नियुक्ति की पूर्ति सीधी भर्ती के पदों से की जाए और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत पदोन्नति कोटा भी सुरक्षित रखा जाए।

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्र: संत हिरदाराम गर्ल्स कॉलेज में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। मार्गदर्शक सिद्धभाऊजी ने छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किए। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और प्राचार्या डॉ. डालिमा पारवानी के स्वागत भाषण से हुआ।

उन्होंने कॉलेज की उपलब्धियों, कौशल विकास पहलों और छात्राओं द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप की जानकारी दी। सिद्धभाऊ ने कहा कि कृतज्ञता सपनों और सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है।



जीवन में आत्म-अनुशासन, प्रभावी समय प्रबंधन और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने वाला व्यक्ति हर लक्ष्य हासिल कर सकता है। उन्होंने छात्राओं से समय सारणी

दो-तीन दिन में प्रदेश से विदा हो सकता है मानसून

नप्र, भोपाल: प्रदेश से दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई अगले 2 से 3 दिन में हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिन नमी के कारण कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन किसी भी जिले में भारी बारिश का अनुमान नहीं है। मानसूनी अवधि 1 जून से 30 सितंबर तक मानी जाती है। आखिरी सप्ताह में प्रदेश में अति भारी या भारी बारिश नहीं हुई।

प्रदेश के 55 जिलों में से 30 में सामान्य बारिश का कोटा पूरा नहीं हुआ, जबकि भोपाल और ग्वालियर समेत 25 जिलों में सामान्य बारिश दर्ज हुई। आलीराजपुर में सामान्य की आधी बारिश भी नहीं हुई, जबकि निवाड़ी और मऊगंज में सामान्य से 150 प्रतिशत से अधिक बारिश हुई। गुरुवार को मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनुपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में बूंदाबांदी और गरज-चमक के आसार हैं। भोपाल, इंदौर, ऊज्जैन, ग्वालियर, सागर और जबलपुर में तेज धूप रहेगी।

गेट नंबर-2, जीवन वाटिका और आसपास के क्षेत्र में किया श्रमदान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में विशेष स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। अभियान के दौरान संग्रहालय के गेट नंबर-2, बाहर स्थित जीवन वाटिका और आसपास के क्षेत्र में साफ-सफाई एवं श्रमदान किया गया। कार्यक्रम में भोपाल दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक भगवानदास सबनानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संग्रहालय के निदेशक प्रो. अमिताभ पांडे ने उनका स्वागत किया।

विधायक सबनानी ने कहा कि स्वच्छता का संकल्प वर्ष 2014 में देश के सामने रखा गया था और इसे आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने संग्रहालय की स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी की सराहना की। निदेशक प्रो. अमिताभ पांडे ने कहा कि

मानव संग्रहालय में विशेष स्वच्छता अभियान आयोजित



स्वच्छता को केवल अभियान या विशेष दिवस तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है। कार्यक्रम के बाद विधायक, निदेशक सहित अधिकारियों

और कर्मचारियों ने सामूहिक श्रमदान किया। जीवन वाटिका परिसर, आसपास की सड़क और सार्वजनिक क्षेत्रों में सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया।

बच्चों ने लिया गांधी-शास्त्री के आदर्शों पर चलने का संकल्प



नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्र: राष्ट्रीपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर संतनगर के स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। बच्चों ने महापुरुषों को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।

साधु वासवानी एवं मुदिता इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में संस्थान के महासचिव कन्हैयालाल रामनानी ने महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए देश के विकास में योगदान का संकल्प दिलाया। शिक्षिका ममता चंद्रा, दीक्षा रामनानी, रितु ओझा और विद्यार्थियों निहारिका, वरुण व विजय ने दोनों नेताओं के आदर्शों, सिद्धांतों, अहिंसा के मार्ग और स्वच्छता के महत्व को रेखांकित किया। ‘जय जवान, जय किसान’ पर आधारित कविता और विचार प्रस्तुत किए गए। मिट्टी

गोविंदराम पब्लिक स्कूल में गांधी-शास्त्री जयंती और हिंदी पखवाड़े के तहत कार्यक्रम हुआ। संस्थान के मार्गदर्शक सिद्धभाऊजी ने कहा कि गांधी और शास्त्री के सत्य, अहिंसा, सादगी और राष्ट्रसेवा जैसे आदर्शों को जीवन में उतारकर ही योग्य नागरिक बना जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से हिंदी का सम्मान करने और सामाजिक दायित्व निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन, लघु नाटिका और भजनों की प्रस्तुतियां दी गईं। ‘भारत को जानो’ प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पाने वाले मनन इसरानी और अचिरल बाबानी को सम्मानित किया गया। वृद्धजनों की सहायता के लिए दान देने वाले तन्मय मोटवानी, जोएल दादलानी और नमन असनानी को भी पुरस्कृत किया गया।

मांसाहार मुक्त अभियान को सर्व समाज का समर्थन

नप्र, भोपाल: विश्व शाकाहार दिवस के अवसर पर कायस्थ बंधु समिति ने करोड़ न्यू जेल रोड स्थित शंकराचार्य धाम में श्री चित्रगुप्त मांसाहार मुक्त सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। समिति के अध्यक्ष एवं अभियान संयोजक गिरीश श्रीवास्तव ने मांसाहार मुक्त महाअभियान में शामिल लोगों को पीले गमछे पहनाकर प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। सम्मानित लोगों ने भविष्य में अंडा और मांस का सेवन नहीं करने का संकल्प पत्र भी दिया। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि मांसाहार मुक्त अभियान वर्ष 2021 से भोपाल सहित मध्य प्रदेश के कई नगरों में चलाया जा रहा है।

नाम परिवर्तन सूचना
नाम परिवर्तन सूचना मैं FARHA KHAN आत्मजा JAMEEL KHAN आयु ब्यक्त निवासी C-1 BAGH UMRAO DULHA BHOPAL (M.P.) जो कि मेरे शादी के पहले दस्तावेज में दर्ज था लेकिन अभी मेरे अन्य दस्तावेजों में FARHA JAMEEL पत्नी GUFARAN ALI दर्ज है जो कि सही है लेकिन मेरे पासपोर्ट में FARHA KHAN आत्मजा JAMEEL KHAN दर्ज है जो कि पहले के दस्तावेज के हिसाब से पासपोर्ट में जुटे पूर्ण दर्ज हो गया था, FARHA KHAN एवं FARHA JAMEEL दोनों एक ही व्यक्ति है, अतः भविष्य में अब मैं FARHA JAMEEL पत्नी GUFARAN ALI के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है।
1826

नाम परिवर्तन सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं Shahabano W/O Nihal Mohd Qureshi निवासी- म.नं. 88, नीलकंठ कॉलोनी के पीछे, इंदगाह हिल्स भोपाल (मध्य प्रदेश) यह घोषणा करता हूँ कि मेरे पूर्व के नाम की स्पेलिंग Shahbano Naaz थी जिसे मैंने बदलकर Shahabano W/O Nihal Mohd Qureshi (नया नाम) रख दिया है अब मुझे इसी नए नाम Shahabano से जाना व पहचाना जाए।
1837

नाम परिवर्तन सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं Zaki Mohd Qureshi पुत्र Nihal Mohammad Qureshi निवासी- म.नं. 88, नीलकंठ कॉलोनी के पीछे, इंदगाह हिल्स भोपाल (मध्य प्रदेश) यह घोषणा करता हूँ कि मेरे पूर्व के नाम की स्पेलिंग Zaki Mohammad Qureshi थी जिसे मैंने बदलकर Zaki Mohd Qureshi (नया नाम) रख दिया है अब मुझे इसी नए नाम से जाना व पहचाना जाए।
1835

नाम परिवर्तन सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं Mahjabeen Ashruf W/O Ashruf Ali निवासी- म.नं. बी-सेक्टर, हजरत निजामुद्दीन कॉलोनी, नरेश शंकरी भेल भोपाल (मध्य प्रदेश) यह घोषणा करती हूँ कि विवाह से पूर्व मेरा नाम Mahjabeen Khan था जो कि मेरे पूर्व पासपोर्ट पर लिखा है। जिसे शादी के बाद मैंने बदलकर Mahjabeen Ashruf W/O Ashruf Ali (नया नाम) रख लिया है अब मुझे इसी नए नाम Mahjabeen Ashruf से जाना व पहचाना जाए।
1836

 कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति बकतरा, जिला-सीहोरे (म.प्र.)	
क्र./मंडी/स्टोर/26-27/240	दिनांक : 30.09.2026
तृतीय निविदा आमंत्रण सूचना	
कृषि उपज मंडी समिति बकतरा की उप मंडी शाहगंज मंडी द्वारा ई-टेंडरिंग के माध्यम से स्वयं के व्वय पर बिटर ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) के तहत 30 मै.टन क्षमता के एवं 10 मै.टन क्षमता की अतिरिक्त प्लेट सहित संरचना की स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर निविदा सिस्टम क्रमांक 2026_MPSAM_539952_1 के अन्तर्गत ऑनलाइन निविदायें दिनांक 05.10.2026 को 11:30 बजे से दिनांक 21.10.2026 को शाम 5:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है।	
निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल https://mptenders.gov.in पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल www.mpmmandiboard.gov.in पर भी अवलोकनीय होगी।	
नोट :- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।	
सचिव कृषि उपज मंडी समिति बकतरा जिला-सीहोरे	भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति बकतरा जिला-सीहोरे
म.प्र. माध्यम/128311/2026	

कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार (भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013) जिला-रायसेन (म.प्र.)							
प्रारंभिक अधिसूचना							
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए उमरिया(वार्ड-07) ओबेदुल्लागंज ग्राम गोहरगंज तहसील रायसेन जिले में कुल-0.180 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् कुल-0.180 हेक्टेयर सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईई) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है):- प्रस्तावित BEML औद्योगिक इकाई केवल 0.180 हे० भूमि तथा 03 परिवारों के प्रभावित होने के कारण सामाजिक समाघात निम्न से मध्यम श्रेणी का आंका जाता है। परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आय के अवसर बढ़ने की संभावना है। उचित पुनर्वास, सतिकर तथा पर्यावरणीय शमन उपाय अपनाये जाने पर परियोजना का समग्र सामाजिक प्रभाव सकारात्मक रहेगा। भूमि अर्जन के कारण कुल-03 (संख्या) कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता के कारण नीचे दिए गए हैं :- प्रस्तावित BEML औद्योगिक इकाई केवल 0.180 हे. भूमि तथा 03 परिवारों के प्रभावित होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोहरगंज को प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अतः जिले रायसेन तहसील गोहरगंज के ग्राम उमरिया(वार्ड-07) ओबेदुल्लागंज में उक्त परियोजना के लिए 0.180 हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् 0.180 हेक्टेयर मानक माप के भूखण्ड, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है :-							
क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं	
						उ.	द.
1.	124	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.0800	रविशप्रकाश चौकसे पिता जगन्नाथ चौकसे	ख.नं. 100 एवं 101	ख.नं. 123
2.	100/1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.1000	हर्ष पिता द्वारका प्रसाद	रत्नवे लाइन	ख.नं. 124
						संरचनाएं	
						प्रकार	प्लिंथ एरिया
						मि्रिक	मि्रिक

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) में को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार, उक्त अधिसंयम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट **कार्यकारी संचालक, म.प्र. औद्योगिक विकास निगम, भोपाल** और उसके कर्मचारिवृन्द **महाप्रबंधक, म.प्र.औद्योगिक विकास निगम, भोपाल** एवं अन्य को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वैधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संयंवहार नहीं करेगा या कोई भी संयंवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से **60 (साठ) दिनों के भीतर** कोई भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

म.प्र. माध्यम/128326/2026

कलेक्टर